

परिशिष्ट - अ

**लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत राजस्व विभाग की
ऑनलाईन सेवाओं की सूची**

विभाग का नाम	स.क.	सेवा कर्मांक	सेवा का नाम
राजस्व विभाग	1	4.1	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड - छ: कर्मांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना।
	2	4.2	चालू खसरा / खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय।
	3	4.3	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय।
	4	4.4	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय।
	5	4.5	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय।
	6	4.6	वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में)।
	7	4.7	नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र।
	8	4.8	शोध्य क्षमता प्रमाण पत्र।
	9	4.9	राजस्व न्यायालय (राजस्व मण्डल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश / अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना।
	10	4.10	अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेखों / राजस्व प्रकरणों / नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना।
	11	4.11	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत निम्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना।
	12	4.12	बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन / तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय।
	13	4.14	अविवादित नामांतरण करना।
	14	4.15	अविवादित बँटवारा करना।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ऑनलाईन सेवाओं की सूची

विभाग का नाम	स.क.	सेवा क्रमांक	सेवा का नाम
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1	16.2	ग्रामीण क्षेत्रों की अद्यतन गरीबी रेखा सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रदाय किया जाना।
	2	16.3	(अ) नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो, वहाँ नवीन नल कनेक्शन के लिये मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना। (ब) नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय।
	3	16.4	ग्रामीण स्वसहायता समूहों की ग्रेडिंग करना।